न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17 / 39 / 2018	22–11–2018	30–01–2019

1–सुभाष पुत्र श्री भगवान जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।
–प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमति चमेली पुत्री स्व0 श्री भूरामल उर्फ भूरूराम पत्नी स्व0 श्री रतिराम जाति चमार निवासी ग्राम गोकुलगढ़, तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा) मृतक

1/1–अनीता देवी पुत्री स्व0 श्रीमति चमेली पिता स्व0 श्री रतिराम जाति चमार निवासी ग्राम गोकुलगढ़, तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

1/2–श्रीमति सीमा देवी पत्नी महेश कुमार पुत्री स्व0 श्रीमति चमेली जाति चमार निवासी ग्राम भोतवास, तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

1/3–राजबाला पत्नी श्री ईश्वर सिंह स्व0 श्रीमति चमेली निवासी ग्राम भूदेड़ा, तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

1/4–ज्योति पत्नी श्री नरेन्द्र देव, निवासी टी 9 बी आर 1 वाई रेलवे कॉलोनी, हिसार (हरियाणा)

1/5–संजना पुत्री स्व0 श्रीमति चमेली पिता स्व0 श्री रतिराम जाति चमार निवासी ग्राम गोकुलगढ़, तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

2–श्रीमान् नायब तहसीलदार बहेसियत लैण्ड होल्डर नीमराना, जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री विकांत माथुर –वकील प्रार्थी
02. श्री मनीष कुमावत –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी सुभाष बनाम चमेली को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद बअनुवानी सुभाष बनाम चमेली उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण ने गांव में सरेआम मिन वादी से कहां कि पीठासीन अधिकारी से हमारा मेल रसूख हो गया है। मुकदमा खारिज करा कर दम लेंगे। मिन वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार अदालत के आस–पास अपनी आंखों से घूमते हुए देखा है व उनके चैम्बर में वार्तालाप करते कई बार देखा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावे में 27 दिन में चार पेशीयां लगातार लगाई है। जो पेशीयां प्रतिवादीगण के कहे अनुसार लगाई गई है। प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर दावे का शीघ्र निस्तारण करने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय में मौजूदा प्रकरण से पूर्व कई मुकदमात् पुराने लम्बित है। जिनमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक–एक माह की पेशीयां लगा रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरे इजलास अपनी राय का इजहार किया कि मुकदमें में दम नहीं है। मुकदमा खारिज करके छोडूंगा। उनके इस व्यवहार से यह अन्देशा बना हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकरण में मुताबिक कानून कार्यवाही नहीं करेगी बल्कि कानून को ताक पर रखकर मिन वादी का दावा खारिज करके छोडेंगे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को मर्डर केस से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

बदतर बना रखा है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर बअनुवानी सुभाष बनाम चमेली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि सायल का यह कहना कि गैरसायलान द्वारा सरेआम सायल से यह कहां गया कि उसने पीठासीन अधिकारी से मेल रसूख मिला लिया है। मुकदमें को खारिज कर दम लेंगे। नितांत गलत है। गैरसायलान का पीठासीन अधिकारी से कोई संबंध नहीं है। सायल ने मनघडन्त रूप से गलत तथ्य दर्ज किये है। सायल का यह कहना भी गलत है कि उसने अपनी आंखों से गैरसायलान को चैम्बर में वार्तालाप करते हुए कई बार देखा है। गैरसायलान कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नहीं गये। तारीख पेशी सही दर्ज की गई है। सायल का यह कहना कि पेशी प्रतिवादीगण के कहे अनुसार लगाई गई है तथा प्रतिवादीगण के वकील से प्रभावित होकर मुकदमें का निस्तारण करने पर उतारू है, गलत है स्वीकार नहीं है। मुकदमें में तारीख पेशी दोनों पक्षकारान् के अभिभाषकों की सहमति से दी गई है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अन्य मुकदमों में तारीख पेशी लम्बी दिये जाने के आधार पर मुकदमें को मुन्तकिल किया जाना न्यायसंगत् नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं गया है कि मुकदमें दम नहीं है तथा उसे खारिज करके छोडूंगा। सायल ने यह प्रा0पत्र मुकदमें का निस्तारण नहीं कराने की नियत से पेश किया है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकरी नीमराना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि उक्त वाद सुभाष चन्द बनाम चमेली वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में वर्ष 2011 से लम्बित है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार अधिक समय से लम्बित वाद पत्रों में सात दिवस की तारीख पेशी दी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। वाद पत्र बअनुवानी सुभाष बनाम चमेली वगै लगभग सात साल से लम्बित है। इसलिए वाद पत्र में छोटी–छोटी तारीख पेशी दी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। यदि न्यायालय श्रीमान चाहे तो मुकदमा पत्रावली किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **30–01–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)